संख्या-93 /2023/661/001-23-10-2023-52-सा0/2022

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ दिनांक 12 मई, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत मुरादाबाद क्षेत्र के जनपद बिजनौर, जनपद मुरादाबाद एवं जनपद रामपुर के कुल 10 सेतुओ के चालू निर्माण कार्यों हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों (निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत मुरादाबाद क्षेत्र के जनपद बिजनौर, जनपद मुरादाबाद एवं जनपद रामपुर के कुल 10 सेतुओ के चालू निर्माण कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 1582.11 लाख (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 1246.54 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 335.57 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 (31वां वृत्त सेतु) लोनि0वि00, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / /प्राविधिक लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित आवंटन		
											अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पंत्राक 3945/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एमबीडी/ 2023-24 दिनांक 28.04.2023	**प्रा.ख. बिजनौर**	जनपद बिजनौर में गंगा नदी/ नजीबाबाद बालावली लक्सर मार्ग पर बालावली के निकट सेतु।	**92/2021/1037/23-10-21-60(सेतु/(2014-दिनांक-18-10-2021**	2001.05/ 2001.05/ 200.31	39.59	1961.46	848.30	1113.16	500.00	**315.16**	**84.84**	**400.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 (31वां वृत्त सेतु) लोनि0वि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / /प्राविधिक लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित आवंटन		
											अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	पंत्राक 3945/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एमबीडी/ 2023-24 दिनांक 28.04.2023	**प्रा.ख. बिजनौर**	जनपद बिजनौर में बदायूँ बिजनौर मार्ग राज्य मार्ग-51) के किमी0-194 में छोईया नदी पर 15 मी0 स्पान के 2 दर के लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य ।	**61/2020/344/23-10-20-79(सेतु/(2019-दिनांक-27-03-2020**	335.07/ 335.07/ 195.09	0.00	335.07	192.90	142.17	125.00	**78.79**	**21.21**	**100.00**
3	पंत्राक 4027/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एमबीडी/ 2023-24 दिनांक 01.05.2023	**नि.ख. -2 बिजनौर**	जनपद बिजनौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 734 से शाहपुर जमाल, हसनपुर होने हुए सुआवला सुरजन नगर मार्ग के किमी-11 में पीली नदी पर लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	**44/2021/36/23-10-21-69(सेतु/(2020-दिनांक-15-03-2021**	439.40/ 439.40/ 284.77	18.69	437.69	363.58	74.11	74.11	**46.71**	**12.58**	**59.29**
4	पंत्राक 4027/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एमबीडी/ 2023-24 दिनांक 01.05.2023	**नि.ख. -2 बिजनौर**	जनपद बिजनौर में दोधराजपुर मेन रोड से धर्मुवाला होते हुए नगीना मार्ग पर लेवड़ा नदी पर पूर्व निर्मित ह्यूम पाईप रपटे के स्थान पर लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य निर्माण के निर्माण कार्य।	**117/2021/1193/23-10-21-22(सेतु/(2021-दिनांक-09-12-2021**	366.20/ 366.20/ 212.01	22.26	364.77	307.32	57.45	57.45	**36.21**	**9.75**	**45.96**
5	पंत्राक 4027/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एमबीडी/ 2023-24 दिनांक 01.05.2023	**नि.ख. -2 बिजनौर**	जनपद बिजनौर में मोटा महादेव भागूवाला मार्ग के किमी0-2 में पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर आर0सी0सी0 लघु सेतु का निर्माण कार्य।	**120/2021/1327/23-10-21-13 (सेतु/(2021-दिनांक-13-12-2021**	210.66/ 210.66/ 139.06	11.89	209.47	198.77	10.70	10.70	**6.74**	**1.82**	**8.56**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 (31वां वृत्त सेतु) लोनि0वि00, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / /प्राविधिक लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित आवंटन		
											अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	पंत्राक 4027/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एमबीडी/ 2023-24 दिनांक 01.05.2023	**नि.ख. -2 बिजनौर**	जनपद बिजनौर में तेलीपुरा भटटे से ग्राम सल्लाखेड़ी मार्ग पर कड़ूला नदी पर लघु सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	**08/2022/1342/23-10-21-44 (सेतु/ (2021-दिनांक-05-01-2022**	293.17/ 293.17/ 182.66	15.88	292.34	277.29	15.05	15.05	**9.49**	**2.55**	**12.04**
7	पंत्राक 4027/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एमबीडी/ 2023-24 दिनांक 01.05.2023	**प्रा.ख. मुरादाबाद**	जनपद मुरादाबाद में ग्राम धर्मपुर से मजरा चकझीम के मध्य स्थित बहाल्ला नदी पर लघु सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	**116/2021/1213/23-10-21-28(सेतु/ (2021-दिनांक-09-12-2021**	452.54/ 452.54/ 290.26	1.23	451.31	231.27	220.04	110.02	**69.35**	**18.67**	**88.02**
8	पंत्राक 4027/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एमबीडी/ 2023-24 दिनांक 01.05.2023	**प्रा.ख. मुरादाबाद**	जनपद मुरादाबाद में खाईखेडा से पानूवाला वाया ख्वाजपुर धनतला जब्दी नदी पर लघु सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य निर्माण।	**24/2022/1194/23-10-21-23(सेतु/ (2021-दिनांक-08-01-2022**	604.55/ 604.55/ 284.59	15.15	589.40	195.29	394.11	200.23	**126.21**	**33.97**	**160.18**
9	पंत्राक 4027/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एमबीडी/ 2023-24 दिनांक 01.05.2023	**प्रा.ख. रामपुर**	जनपद रामपुर में शाहबाद-रामपुर-बाजपुर मार्ग (राज्य मार्ग-144) के किमी0-75 में घूंघा नदी पर लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	**123/2021/1217/23-10-21-29(सेतु/ (2021-दिनांक-13-12-2021**	585.01/ 585.01/ 453.41	23.57	561.44	225.00	336.44	275.00	**173.34**	**46.66**	**220.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 (31वां वृत्त सेतु) लोनि0वि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / /प्राविधिक लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित आवंटन		
											अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	पंत्राक 4027/सी ई-एसईबी/ आरवाईबी/ एमबीडी/ 2023-24 दिनांक 01.05.2023	**सेतु निगम रामपुर**	जनपद रामपुर में ग्राम भैया नगला के निकट कोसी नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	**196/2022/ 1660815/0 01- 1660815- 23-10099- 099-61- 2022- दिनांक-09- 12-2022**	2450.45/ 2445.38/ 2445.38	5.07	2445.38	612.61	1832.77	610.08	**384.54**	**103.52**	**488.06**
			योग :-		---	**153.33**	**7648.33**	**3452.33**	**4196**	**1977.64**	**1246.54**	**335.57**	**1582.11**

अवमुक्त धनराशि रू0 1582.11 लाख (रूपये पन्द्रह करोड बयासी लाख ग्यारह हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है, तो प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहित प्रभावी रहने तक उक्त कार्यों हेतु धनराशि निर्गत न की जाय।

2- **इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 12,46,54,000 (रुपये बारह करोड़ छियालीस लाख चौवन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3,35,57,000 **(रुपये तीन करोड पैंतीस लाख सत्तावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 505404789140 0 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

3- **यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2**/2023/**बी-**1-227/**दस-**2023-231/2023, **दिनांक-17 मार्च** 2023 **मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-93**/2023/661/001-23-10-2023-52-सा0/2022**, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।**
(2) **महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।**
(3) **संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।**
(4) **संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।**
(5) **मुख्यअभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।**
(6) **मुख्य कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।**
(7) **संबंधित कोषाधिकारी।**
(8) **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**8**।**
(9) **राज्य योजना आयोग अनुभाग-**1/2 **।**
(10) **श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।**
(11) **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।